संख्या: 1064/9-आ-1-96

प्रेषक,

श्री अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश एवं आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।

विषय : आवंटित भूमि के साथ संलग्न अतिरिक्त भूमि का निस्तारण ।

लखनऊ: दिनांक 5 मार्च, 1996

आवास अनुभाग-1

महोदय,

नयी विकसित कालोनियों में आवंटित भूखण्ड की नपाई के समय बहुधा अधिक भूमि निकल आती है और उसके निस्तारण की समस्या उत्पन्न होती है। किसी भी ले-आउट में इस प्रकार की भिन्नता आ सकती है। इस सम्बन्ध में अलग-अलग विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद में नीति अपनायी गयी है। निस्तारण के लिये इस सम्बन्ध में निम्न निर्देशानुसार कार्यवाही करना अपेक्षित है।

जहां तक सम्भव हो अतिरिक्त भूखण्ड यदि नये भूखण्ड के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है तो उसे नया भूखण्ड बनाकर आवंटित किया जाये। जहां पर लेआउट के अनुरूप नये भूखण्डों का सृजन सम्भव नहीं है वहां उस भूखण्ड को पड़ोस के दोनों या एक भूखण्ड जैसा भी व्यवहारिक हो, में उनकी इच्छानुसार काट दिया जाये। सामान्यतः यह भूखण्ड आवंटन की तिथि के निर्धारित आवासीय मूल्य पर दिया जायेगा। आवंटन की तिथि से तात्पर्य नयी भूमि के लिये पैसा जमा करने की तिथि से होगा।

कुछ क्षेत्रों में उस भूमि को निर्माण के लिये देने से ले-आउट में विसंगति आ सकती है। उस प्रसंग में भूमि को आवंटन की तिथि के घोषित आवासीय भूमि के निर्धारित मूल्य के आधे मूल्य पर आवंटित किया जायेगा और साथ में यह बन्दिश लगायी जायेगी कि उस भूमि का किसी निर्माण के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा। विकास प्राधिकरण की कालोनी के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर यही नीति लागू होगी, परन्तु वहां यह उस क्षेत्र के लिये जिलाधिकारी द्वारा घोषित मूल्य को आधार मूल्य माना जायेगा।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करें।

भवदीय,

अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव, आवास